भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3973
दिनांक 25 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

राष्ट्रीय पशुधन मिशन का क्रियान्वयन

3973. डॉ. नामदेव किरसानः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय गोकुल मिशन और राष्ट्रीय पशुधन मिशन कार्यान्वित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र में पशुधन उत्पादकता, डेयरी उत्पादन और समग्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इन योजनाओं का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) महाराष्ट्र में इन योजनाओं के लिए कितना वित्तीय आवंटन तथा व्यय किया गया है; और

(घ) राज्य के मत्स्यपालन, पशुपालन तथा डेयरी क्षेत्रों के अनुवर्ती विकास हेतु इन योजनाओं के संवर्धन और विस्तार के लिए अन्य क्या पहल की गई है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) जी हां**,** सरकार देश में राष्ट्रीय गोकुल मिशन और राष्ट्रीय पशुधन मिशन कार्यान्वित कर रही है।

दूध उत्पादन बढ़ाने में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को अनुपूरित और संपूरित करने के लिए, भारत सरकार राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू कर रही है। यह पहल देशी बोवाइन नस्लों के विकास और संरक्षण, बोवाइन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन और दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने पर केंद्रित है।
राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत, भारत सरकार दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए देशी बोवाइन नस्लों के आनुवंशिक उन्नयन के लिए निम्नलिखित तकनीकें लागू कर रही है:

(i) **राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाना और देशी बोवाइन नस्लों सहित उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों के सीमन का उपयोग करके किसानों के द्वार पर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान (एआई) सेवाएं प्रदान करना है।
सेक्स-सॉर्टेड सीमन का उपयोग करके त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम: इस कार्यक्रम का उद्देश्य 90% तक सटीकता के साथ बछड़ियों का उत्पादन करना है, जिससे नस्ल सुधार को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। इस कार्यक्रम के तहत देशी नस्लों के सेक्स-सॉर्टेड सीमन के उपयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है।

देशी रूप से विकसित सेक्स-सॉर्टेड सीमन उत्पादन तकनीक का शुभारंभ: भारत में पहली बार, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत स्थापित सुविधाओं ने देशी गोपशु नस्लों के सेक्स-सॉर्टेड सीमन का सफलतापूर्वक उत्पादन किया है। ये सुविधाएं गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाँच सरकारी सीमन स्टेशनों पर स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, तीन निजी सीमन स्टेशन भी सेक्स-सॉर्टेड सीमन खुराक के उत्पादन में योगदान दे रहे हैं। देशी रूप से विकसित सेक्स-सॉर्टेड सीमन उत्पादन तकनीक के शुभारंभ ने सेक्स-सॉर्टेड सीमन की लागत को 800 रु. से घटाकर 250 रु. प्रति खुराक कर दिया है। यह सफलता किसानों के लिए सेक्स-सॉर्टेड सीमन को अधिक किफायती बनाती है और देशी मादा गोपशुओं की आबादी को बढ़ाती है। अब तक, देशी नस्लों सहित उच्च-आनुवंशिक-योग्यता वाले सांडों का उपयोग करके 1.17 करोड़ सेक्स-सॉर्टेड सीमन खुराकों का उत्पादन किया गया है।

आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम: भारत में पहली बार, देशी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए बोवाइन आईवीएफ तकनीक को बढ़ावा दिया गया है। विभाग ने देश भर में देशी नस्लों को बढ़ावा देने के लिए 22 आईवीएफ प्रयोगशालाएँ स्थापित की हैं। इस कार्यक्रम के तहत देशी नस्लों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को प्रत्येक सुनिश्चित गर्भावस्था पर 5,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाता है।

देशी कल्चर मीडिया का शुभारंभ: देश में आईवीएफ तकनीक को और बढ़ावा देने के लिए इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) के लिए एक देशी मीडिया लॉन्च किया गया है। यह देशी कल्चर मीडिया महंगे आयातित मीडिया का एक लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करता है, जिससे आईवीएफ तकनीक अधिक सुलभ हो जाती है।

ग्रामीण भारत में बहुउद्देश्यीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (मैत्री): मैत्री को किसानों के द्वार पर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाएँ देने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों और पेशेवरों के पुनश्चर्या प्रशिक्षण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है।

(ii) **सीमन केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण:** राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत, सीमन केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण से उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों की संख्या बढ़कर 1,845 (वर्ष 2023-24) हो गई है, जिससे देशी नस्ल के सीमन की 29 मिलियन खुराकें तैयार हुई हैं। देशी नस्ल के सीमन से कृत्रिम गर्भाधान को पूरे देश में प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(iii) **(iii) संतति परीक्षण और नस्ल चयन कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य देशी नस्लों के सांडों सहित उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों का उत्पादन करना है। गिर, साहीवाल नस्ल के गोपशुओं और मुर्राह, मेहसाणा नस्ल की भैंसों के लिए संतति परीक्षण लागू किया जाता है। नस्ल चयन कार्यक्रम के तहत राठी, थारपारकर, हरियाना, कांकरेज नस्ल के गोपशुओं और जाफराबादी, नीली रावी, पंढरपुरी और बन्नी नस्ल की भैंसों को शामिल किया गया है। कार्यक्रम के तहत उत्पादित देशी नस्लों के रोग मुक्त उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों को पूरे देश में सीमन केन्द्रों को उपलब्ध कराया जाता है।

(iv) **देशी रूप से विकसित जीनोमिक चिप का शुभारंभ:** पहली बार, देशी नस्लों के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत एक जीनोमिक चिप विकसित और लॉन्च की गई है। यह सामान्य जीनोमिक चिप देशी बोवाइन नस्लों के विकास और संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

वर्ष 2014-15 में शुरू किए गए राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) को वित्तीय वर्ष 2021-22 में पुनर्गठित और पुनर्संरेखित किया गया। संशोधित योजना रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास और प्रति-पशु उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित है, जिससे विकास कार्यक्रम के तहत मांस, बकरी के दूध, अंडे और ऊन के उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। दिनांक 21 फरवरी 2024 को आगे और संशोधन किए गए, जिसमें बंजर भूमि, रेंज भूमि और अवक्रमित वन भूमि का उपयोग करके चारा उत्पादन की पहल के साथ-साथ ऊंट, घोड़े और गधे की नस्ल-उन्नयन को जोड़ा गया।

इस योजना के निम्नलिखित तीन उप-मिशन हैं:-

(i) पशुधन और पोल्ट्री नस्ल विकास संबंधी उप-मिशन: यह उप-मिशन पोल्ट्री**,** भेड़**,** बकरी और सूअर पालन जैसे क्षेत्रों में उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार पर जोर देता है। इसका उद्देश्य उद्यमिता पहल के लिए व्यक्तियों**,** किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ)**,** किसान सहकारी संगठनों (एफसीओ)**,** संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और कंपनी अधिनियम के तहत धारा 8 कंपनियों को प्रोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त, यह नस्ल सुधार के लिए अवसंरचना स्थापित करने में राज्य सरकारों का समर्थन करता है। भारत सरकार पोल्ट्री, भेड़ बकरी, सुअर पालन और साथ ही ऊंट, घोड़े, गधे की इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यमियों को 50% सब्सिडी प्रदान करती है।

(ii) पशु आहार और चारा विकास संबंधी उप-मिशन: यह उप-मिशन चारा उत्पादन के लिए आवश्यक प्रमाणित चारा बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चारा बीज आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने पर केंद्रित है। यह चारा ब्लॉक**,** हे बेलिंग और सिलेज बनाने वाली इकाइयों की स्थापना का समर्थन करके उद्यमिता को बढ़ावा देता है, साथ ही बंजर भूमि, अवक्रमित वन भूमि और इसी तरह के क्षेत्रों में चारा उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। विभिन्न प्रकार के बीजों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिए जाते हैं: प्रजनक बीजों के लिए 250 रु./किग्रा, आधार बीजों के लिए 150 रु./किग्रा और प्रमाणित बीजों के लिए 100 रु./किग्रा।

(iii) नवाचार और विस्तार पर उप-मिशन: यह उप-मिशन भेड़**,** बकरी**,** सूअर और आहार और चारा क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान और विकास में लगे संस्थानों, विश्वविद्यालयों और संगठनों को प्रोत्साहित करता है। यह विस्तार कार्यकलापों**,** पशुधन बीमा और नवाचार का भी समर्थन करता है। इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) संस्थानों और विश्वविद्यालय फार्मों को सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त**,** यह पशुपालन योजनाओं, सेमिनारों, सम्मेलनों, प्रदर्शन कार्यकलापों और राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली अन्य सूचना, शिक्षा और संचार **(**IEC) पहलों के लिए जागरूकता अभियान सहित विस्तार सेवाओं को बढ़ावा देता है।

(ख) राष्ट्रीय गोकुल मिशन के कार्यान्वयन और पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा किए गए अन्य उपायों के कारण महाराष्ट्र में दूध उत्पादन वर्ष 2014-15 में 92.95 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 156.89 लाख टन हो गया है (जो 68.78% की वृद्धि है)। नॉन-डिस्क्रिप्ट और देशी गोपशुओं की औसत उत्पादकता वर्ष 2014-15 में प्रति पशु प्रति दिन 1.85 किलोग्राम से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 2.37 किलोग्राम/पशु/दिन हो गई है (जो 28.10% की वृद्धि है)। इसी तरह, संकर नस्ल के गोपशुओं की औसत उत्पादकता वर्ष 2014-15 में प्रति पशु प्रति दिन 7.38 किलोग्राम से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 9.85 किलोग्राम/पशु/दिन हो गई है (जो 33.46% की वृद्धि है)।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन उद्यमिता विकास कार्यक्रम (NLM EDP) के तहत महाराष्ट्र में 316 परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया है, जिसमें प्रति वर्ष 72,740 मीट्रिक टन पशु आहार और चारे की उत्पादन क्षमता शामिल है, जिससे पशुधन के लिए बेहतर पोषण सुनिश्चित होता है और इस प्रकार पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार होता है। 74,110 बकरियों और भेड़, 38,650 पोल्ट्री और 330 सूअरों को शामिल करने वाली परियोजनाएं पशुधन की उपलब्धता में वृद्धि के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में मदद करेंगी, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को आय सृजन में सहायता मिलेगी। एनएलएम-ईडीपी के नस्ल विकास कार्यक्रम के तहत अब तक 885 लोगों को रोजगार मिला है और इन परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 963 किसानों को जोड़ा जा रहा है।

(ग) राष्ट्रिय गोकुल मिशन (आरजीएम) के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र को कुल 4943.71 लाख रुपये जारी किए गए हैं और पूरी राशि का उपयोग कर लिया गया है। इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2021-22 से एनएलएम के तहत विभाग ने महाराष्ट्र को एनएलएम-ईडीपी कार्यकलाप के तहत सब्सिडी राशि सहित 2410.17 लाख रुपये की निधियां जारी की हैं और जिसमें से 2288.08 लाख रुपये का उपयोग कर लिया गया है।

(घ) एनएलएम-ईडीपी कार्यकलाप के तहत, आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने और प्रस्तावों की निर्बाध प्रस्तुति, ट्रैकिंग और अनुमोदन सुनिश्चित करने के लिए एनएलएम उद्यमीमित्र पोर्टल तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त, पशुपालन और डेयरी विभाग ने इस योजना के तहत परियोजनाओं की पारदर्शिता को बढ़ावा देना, दक्षता को बढ़ाने और उनकी वास्तविक समय में निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एक उन्नत डैशबोर्ड तैयार किया है। उद्यमियों को ऑनलाइन फॉर्म जमा करने और समस्याओं को हल करने में मदद करने के लिए राज्य में राष्ट्रीय पशुधन मिशन- हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। इसके अलावा, दिनांक 13 जनवरी, 2025 को पुणे, महाराष्ट्र में उद्यमिता विकास सम्मेलन आयोजित किया गया, ताकि पशुधन आधारित उद्यमों की संभावना का पता लगाने के लिए उद्यमियों में जागरूकता पैदा की जा सके और उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके।

मत्स्यपालन क्षेत्र में कई पहलों को अनुमोदित किया गया है, जिसके कारण महाराष्ट्र में मछली उत्पादन वर्ष 2019-20 में 5.61 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 6.99 लाख टन हो गया है। कार्यकलापों की सूची अनुबंधों के रूप में संलग्न है।

*****

महाराष्ट्र के लिए अनुमोदित महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:

i. गुणवत्तापूर्ण ब्रूड स्टॉक के लिए 10 मछली ब्रूड बैंक और 1 सजावटी मछली ब्रूडबैंक की स्थापना को संस्वीकृति दी गई।
ii. गुणवत्तापूर्ण बीज के लिए 32 मछली/झींगा हैचरियों की स्थापना।
iii. अंतर्देशीय जलकृषि के तहत 282.29 हेक्टेयर तालाब क्षेत्र को अनुमोदन दिया गया।
iv. महाराष्ट्र को मत्स्यपालन के लिए जलाशयों में 17,463 पिंजरों की स्थापना को संस्वीकृति दी गई जो पीएमएमएसवाई के तहत किसी भी राज्य को अनुमोदित की गयी सबसे अधिक इकाइयों में से एक है।
v. 541 पुन: संचारी (रिसर्क्यूलेटरी) जलकृषि प्रणाली (RAS), बायोफ्लोक टैंक की 152 इकाइयों, बायोफ्लोक मत्स्यपालन के लिए 182 हेक्टेयर क्षेत्र जैसे तकनीक से जुड़े कार्यकलापों को संस्वीकृति दी गई।
vi. गुणवत्तापूर्ण आहार सुनिश्चित करने के लिए 101 मछली आहार मिल/संयंत्र संस्वीकृत किए गए।
vii. निर्यात क्षमता के लिए 63 नए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों और 40 मौजूदा मछली पकड़ने वाले जहाजों के उन्नयन को संस्वीकृति दी गई।
viii. समुद्री कृषि के लिए 110 समुद्री पिंजरे संस्वीकृत किए गए।
ix. 16 सजावटी मछली पालन इकाइयों, 32 एकीकृत सजावटी मछली इकाइयों (प्रजनन और पालन) और मनोरंजक (रिक्रिश्नल) मत्स्यपालन की 13 इकाइयों को संस्वीकृति दी गई।
x. समुद्री शैवाल की खेती के लिए 1000 राफ्ट संस्वीकृत किए गए।
xi. 4 रोग निदान केंद्र और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं को संस्वीकृति दी गई।
xii. सस्टेनेबिलिटी के लिए महाराष्ट्र के तट पर कृत्रिम चट्टानों की 182 इकाइयाँ।
xiii. 114.26 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 9 एकीकृत आधुनिक मछली लैंडिंग केंद्रों को संस्वीकृति दी गई।
xiv. 96.60 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत पर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के मैलेट बंदर मत्स्यन बंदरगाह प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
xv. अत्याधुनिक थोक मछली बाजारों की 3 इकाइयों को अनुमोदन दिया गया।
xvi. 80 नए बर्फ संयंत्र/प्रशीतन भंडारण को संस्वीकृति दी गई।
xvii. मछली परिवहन सुविधाओं (रेफ्रिजरेटेड, इंसुलेटेड, 3 व्हीलर) की 863 इकाइयों को संस्वीकृति दी गई, जिसमें जीवित मछली विक्रय केंद्रों की 269 इकाइयां शामिल हैं।
xviii. 47 मछली कियोस्क इकाइयों और 13 मछली मूल्य वर्धित उद्यम इकाइयों को संस्वीकृति दी गई।
xix. विस्तार और सहायता सेवाओं-मत्स्य सेवा केंद्रों की 17 इकाइयों को संस्वीकृति दी गई।
xx. पारंपरिक मछुआरों के लिए 107 नावों और जालों को संस्वीकृति दी गई।
xxi. मछली प्रतिबंध/लीन अवधि के दौरान सालाना 2000 मछुआरों को आजीविका और पोषण सहायता संस्वीकृत की गई।
xxii. लगभग 88,000 मछुआरों को सालाना बीमा कवर प्रदान किया गया।
xxiii. मछुआरों और सरकार के बीच इंटरफेस के रूप में महाराष्ट्र के तटों पर तैनात 173 सागर मित्रों को अनुमोदन दिया गया।

*****